भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1602

31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

केरल खाद्यान्न आवंटन संकट

1602. डॉ. शशि थरूर:

श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद केरल राज्य को किए जाने वाले खाद्यान्न का आवंटन औसतन 16 लाख टन प्रति वर्ष से घटकर 14.25 लाख टन प्रति वर्ष हो गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य में एनपीएस और एनपीएनएस परिवारों के लिए वितरण हेतु टाइड ओवर योजना के अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन बढ़ाने के लिए केरल राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का केरल राज्य को टाइड ओवर योजना के अंतर्गत गेहूं का आवंटन फिर से शुरू करने का विचार है, जिसे जून 2022 से रोक दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए एनपीएस और एनपीएनएस राशन कार्ड धारकों की संख्या और खाद्यान्न टाइड ओवर योजनाओं के आवंटन का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान है कि यदि पूर्ववर्ती सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान औसत वार्षिक उठान, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वार्षिक खाद्यान्नों के आबंटन से कम है, तो उसे यथावत रखा जाएगा। इस अधिनियम की अनुसूची-IV में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्यान्नों के लिए पात्रता विनिर्दिष्ट की गई है। अनुसूची-IV के अनुसार, केरल राज्य प्रति वर्ष 1425049 टन खाद्यान्न (टाइड ओवर आबंटन के रूप में 424751 टन सहित) के लिए पात्र है।

....2/-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केरल राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों का कवरेज 154.80 लाख व्यक्ति है और राज्य ने पहले ही इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय सीमा तक लाभार्थियों को चिह्नित किया है। तदनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मूल्यों पर राज्य सरकार को प्रतिमाह 85459.885 टन खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान औसत वार्षिक उठान को बनाए रखने के लिए 'टाइड ओवर' के अंतर्गत प्रतिमाह 33294.198 टन खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है। इस प्रकार, केरल राज्य प्रति माह 118754.083 टन खाद्यान्न (प्रति वर्ष 1425049 टन खाद्यान्न) प्राप्त कर रहा है जो अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय सीमा के अनुसार है।

(ख): केरल राज्य सरकार से पात्रता के अलावा "टाइड ओवर" के अंतर्गत खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य को सूचित किया गया था कि खाद्यान्नों के आबंटन का मानदंड सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर एक समान रूप से लागू होता है, इसलिए किसी विशेष राज्य के अपनी पात्रता के अलावा "टाइड ओवर" आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ग): मानदंडों के अनुसार खाद्यान्न स्टॉक का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, फोर्टिफाइड चावल के वितरण हेतु चावल के स्टॉक की स्थिति और लॉजिस्टिक्स पर दबाव को कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/टाइड ओवर श्रेणी के अंतर्गत केरल सहित 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में खाद्यान्नों के आबंटन में संशोधन किया था। 3 राज्यों अर्थात उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु के लिए गेहूं के स्थान पर चावल की समान मात्रा के साथ टाइड ओवर आबंटन में संशोधन किया गया था। भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से समय-समय पर आबंटन की समीक्षा की जाती है, अंतिम समीक्षा जुलाई, 2024 में की गई थी। केरल सहित सभी 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनएफएसए/टाइड ओवर श्रेणी के तहत संशोधित आबंटन जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

(घ): केन्द्र सरकार द्वारा गैर-एनएफएसए लाभार्थियों, जिन्हें "टाइड ओवर" खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है, का डाटा नहीं रखा जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "टाइड ओवर" के तहत खाद्यान्नों के आबंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 31.07.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टाइड ओवर के तहत खाद्यान्नों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल	गेहूँ	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0.000	22.068	22.068
2	अरुणाचल प्रदेश	31.661	0.000	31.661
3	असम	0.000	66.195	66.195
4	बिहार	0.000	0.000	0.000
5	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.000
6	दिल्ली	0.000	0.000	0.000
7	गोवा	15.242	9.405	24.647
8	गुजरात	0.000	0.000	0.000
9	हरियाणा	0.000	0.000	0.000
10	हिमाचल प्रदेश	101.914	203.816	305.730
11	झारखंड	0.000	0.000	0.000
12	कर्नाटक	0.000	0.000	0.000
13	केरल	399.530	0.000	399.530
14	मध्य प्रदेश	0.000	0.000	0.000
15	महाराष्ट्र	0.000	0.000	0.000
16	मणिपुर	0.000	0.000	0.000
17	मेघालय	13.619	21.947	35.565
18	मिजोरम	18.222	0.000	18.222
19	नागालैंड	46.473	0.000	46.473
20	ऑडिशा	0.000	0.000	0.000
21	पंजाब	0.000	0.000	0.000
22	राजस्थान	0.000	0.000	0.000
23	सिक्किम	14.397	3.554	17.951
24	तमिलनाडु	1108.220	0.000	1108.220

...2/-

25	तेलंगाना	0.000	41.949	41.949
26	त्रिपुरा	69.518	38.095	107.613
27	उत्तराखंड	101.532	0.000	101.532
28	उत्तर प्रदेश	0.000	0.000	0.000
29	पश्चिम बंगाल	0.000	0.000	0.000
30	अण्डमान और निकोबार दीप समूह	15.941	9.244	25.184
31	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.000	0.000	0.000
32	दादरा और नगर हवेली व दमन एवं दीव	0.000	0.000	0.000
33	जम्मू एवं कश्मीर	183.046	82.812	265.857
34	लद्दाख	2.793	4.190	6.983
35	लक्षदीप	3.098	0.000	3.098
36	पुड्डुचेरी (डीबीटी)	0.000	0.000	0.000
	कुल	2125.205	503.274	2628.480

*****